

किसी भी प्रकार से धार रखा जाने वाला।

क्र. सं. 13438

क्र. सं. 13438

दिनांक 22.7.13

राजकुमार गोपाल जी

1975-76-2

नम. 2 की प्रतिलिपि को फिल से सुरक्षित करने वाला

- 1. 36446000/-
- 2. 10000 + 40
- 3. 100402
- 4. 22.7.13

[Handwritten signature]

संश्लेषण अधिकारी का संकेत

6675/13

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹. 5000

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

पंच हजार रुपये

INDIA

SATYA MEI JAYATE
CBA H-12/4840 BBA
RS. 200
LAWYER'S NOTARY COMMITTEE

17 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 617585



2000/-

Raghunath Tripathi *Shankar Prasad Tripathi* *Laksh Tripathi* *Kush Tripathi*

डेवलपर्स विलेख

राघवेंद्र नारायण त्रिपाठी, द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, लवकुश त्रिपाठी, कुश त्रिपाठी पुत्रगण धर्मराज त्रिपाठी व दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी व यश त्रिपाठी पुत्रगण स्व० सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी निवासीगण ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

.....प्रथम पक्ष / भू-स्वामीगण

व

श्री माँ कन्स्ट्रक्शंस बजरिये पार्टनर, देवेश त्रिपाठी पुत्र डा० शुक्रदेव त्रिपाठी निवासी बी-30/252, नगवां, लंका, वाराणसी।

..... द्वितीय पक्ष / डेवलपर्स

Raghunath Tripathi *Shankar Prasad Tripathi* *Laksh Tripathi* *Kush Tripathi*



Ameyan S.

Shankar Prasad Tripathi

For Shree Maa Constructions

(Signature)

Partner



6675/13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 617585

13938
2000



Reghuveer Tripathi



Sunil C. Tripathi



Lavakush Tripathi



Kush Tripathi

डेवलपर्स विलेख

राघवेन्द्र नारायण त्रिपाठी, द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, लवकुश त्रिपाठी, कुश त्रिपाठी पुत्रगण धर्मराज त्रिपाठी व दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी व यश त्रिपाठी पुत्रगण स्व० सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी निवासीगण ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

.....प्रथम पक्ष / भू-स्वामीगण

व

श्री माँ कन्स्ट्रक्शंस बंजरिये पार्टनर, देवेश त्रिपाठी पुत्र डा० शुक्देव त्रिपाठी निवासी बी-30/252, नगवा, लंका, वाराणसी।

..... द्वितीय पक्ष / डेवलपर्स

Reghuveer Tripathi

Sunil C. Tripathi

Lavakush Tripathi

Kush Tripathi



Shree Maa

Devesh Tripathi

For Shree Maa Constructions



Handwritten signature of Shree Maa.

Partner



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 623156




विदित हो कि प्रथम पक्ष आराजी नम्बर 529ख रकबा 5322.90 वर्गमीटर स्थित मौजा भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर जिला वाराणसी का स्वामी व अध्यासी है और प्रथम पक्ष, बतौर तनहां नालिक भूमिधर आराजी मजकूर पर काबिज दखील रहकर हरफेल मालिकाना अमल में लाता चला आ रहा है और प्रथम पक्ष का नाम भी कागजात माल में बहैसियत मालिक भूमिधर मुन्दर्ज है। प्रथम पक्ष इस शर्त की घोषणा व पुष्टि करता है कि आराजी मजकूर हर प्रकार के नुकश मिलकियत, सदमा, कुर्की, जेर जमानत, रेहनदारी व कर्ज आदि से पाक-साफ व बेखलिश है और उसके सम्बन्ध में किसी शिक्ष या न्यायालय में कोर्ट कार्यवाही या वाद विचाराधीन ही है और न ही आराजी मजकूर किसी सरकारी या गैर सरकारी

Raghunath Tripathi

Dwaraka Tripathi, Lawakar h. Tripathi

Kush Tripathi



Raghunath Tripathi

Dwaraka Tripathi

For Shree Maa Constructions

Partner



६६५

वामपक्ष की तिथि..... 22-6-93

वामपक्ष का क्षेत्र का प्रतीक.....

वामपक्ष के नाम का प्रतीक.....

वामपक्ष की पंजीकृत.....

वामपक्ष के नाम का प्रतीक.....

वामपक्ष के नाम का प्रतीक.....

वामपक्ष के नाम का प्रतीक.....

वामपक्ष के नाम का प्रतीक.....

श्री श्री कन्हैयालाल शर्मा देवड़ा विपक्षी

गठारा २७

१६ अल्पसंख्यक विधायक का चुनाव का समय
या अनिश्चित अवधि विधायक से अलग
विधान सभा

राधवल्लभ नारायण विपक्षी व दुर्गा प्रसाद विपक्षी व
एवमुक्ता विपक्षी व सुब्रह्मण्य विपक्षी सुब्रह्मण्य धर्मराज विपक्षी
निठ गण ठकुर व दुर्गा प्रसाद विपक्षी व शंकर विपक्षी सुब्रह्मण्य
सुरेश्वर नारायण विपक्षी मिश्र देव ठठ लारणसी देव विपक्षी
सुब्रह्मण्य इठ सुब्रह्मण्य विपक्षी निठ लोक-३०/२५२ नगला संख्या
लारणसी



१ स्विकृत किया जायगा अथवा श्री विवेक पाण्डेय
श्री श्री विवेक नारायण पाण्डेय पत्र/मुहल्ल भिषी गे न
परगना
श्री श्री राधा नारायण विपक्षी
परगना
श्री श्री
परगना

१२ निरन्तर विरोध
गठारा २२-७-९३


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 623155

3

प्लान या योजना के अधीन अर्जन से प्रभावित है। आराजी मजकूर के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को सभी प्रकार को स्वामित्वाधिकार मय हक हस्तान्तरण हासिल है, जो चाहे सो करे। प्रथम पक्ष अपने आराजी मजकूर हरब तफसील जैल को विकसित कर उस पर हाउसिंग / फ्लैट / व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने का इच्छुक है किन्तु निर्माण कार्य एवं विकास हेतु द्वितीय पक्ष से सम्पर्क किया जिसे प्रथम पक्ष की अपेक्षा के अनुरूप हाउसिंग / फ्लैट / व्यवसायिक काम्प्लेक्स के विकास करने व निर्माण करने का वृहद अनुभव है एवं तकनीकी व वित्तीय रूप से समर्थ होने के कारण से हाउसिंग / फ्लैट / व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण करने व विकास करने में पूर्णतः सक्षम है, ऐसा विश्वास द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को दिलाया है व प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष की क्षमता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अपने वांछित योजना विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर मूर्त रूप देने हेतु द्वितीय पक्ष से निवेदन किया जिस पर द्वितीय पक्ष ने आराजी मजकूर हरब तफसील जैल पर विकास करने से हाउसिंग / फ्लैट / व्यवसायिक काम्प्लेक्स निर्मित करने हेतु अपनी बाहमति व्यक्त किया। उभय पक्ष के बीच उक्त विकास योजना के सम्बन्ध में जो शर्तें तय हुई हैं, उनको लिपिबद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतएव पक्षगण स्वेच्छा पूर्वक स्वस्थ मन मस्तिष्क की दशा में बिना किसी अनुचित दबाव या प्रलोभन के स्वीकृति शर्तों एवं संविदा के सम्बन्ध में यह

Raghunath Tripathi



Dhanendra Tripathi Lawakar, M.P.O. LL



Kush Tripathi



Manoj K.P.



Yash Tripathi



For Shree Maa Constructions

Partner



6669

राम्य विक्रय की तिथि..... 22-6-93
राम्य क्रय करने का प्रयोजन.....
राम्य क्रय के नाम व पूरा पता.....
राम्य की धनराशि.....

श्री श्री धर्मदूत शिवजी महाराज देवी विपरीत
कोटा रास्ता

राम्य विक्रेता का पूरा नाम- राजीव कुमार गुप्ता
लाइसेंस नम्बर-111/147/106/22
लाइसेंस की अवधि
अधिकृत विक्रय करने का स्थान व पूरा पता-
राजस्थान सरकार का कार्यालय

Raghuwada Tripathi

Dwaraka Tripathy

Lavakush h. Tripathi



Kush Tripathi

Hemraj Del.

Kush Tripathi



Kush

Vivek Pandey

विवेक शंकर तिवारी



प्रत्यक्षतः मक, खादिनी क राम्य
विन्ह निरुपानुसार लिय गव.

M
उपनिबन्धक डिप्टी
राजस्थान

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 335387

4

विलेख निष्पादित कर अपने-अपने को अपने-अपने उत्तराधिकारियों तथा स्थानापन्न प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आवद्ध करते व होते हैं :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष को हाउसिंग / प्लैट / व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने की योजना व विकास तैयार करेगा तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग से उसकी स्वीकृति करायेगा उसमें आने वाले समस्त खर्चें द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगा, जिसका वित्तीय दायित्व किसी प्रकार प्रथम पक्ष का नहीं होगा।

यह कि आराजी मजकूर हसब तफसील जैल पर द्वितीय पक्ष भूतल, प्रथम व द्वितीय तल अथवा जितने तले के निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य हो उसका निर्माण करायेगा, जिसके कुल निर्मित क्षेत्रफल में प्रथम पक्ष का अंश 40 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष का अंश 60 प्रतिशत का होगा। यदि इसके अतिरिक्त कोई निर्माण कराया जावेगा तो उसमें भी पक्षगण का अंश उक्त अनुपात में ही रहेगा और ऐसे अतिरिक्त निर्माण पर अपने वाले अर्धदण्ड कम्पाउण्डिंग खर्च के एवज में जमा धनराशि की रसीद के आधार पर पक्षगण उसे अनुपात में अदा करने के जिम्मेदार होंगे।

यह कि प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को निर्माण की अनुमति प्रदान करता है परन्तु कब्जा दखल वाकई प्रथम पक्ष का ही समझा जायेगा।

Raghuwanda Tripathi

D. S. K. Tripathi

Lowesth
Tripathi

Kush Tripathi



Anupam Lal

Yash Tripathi

For Shree Maa Constructions



Shree Maa
Partners

6666

आगत विक्रय की तिथि..... 22-6-93

आगत कर्य करने का प्रयोजन.....

रक्षण के लिये का नाम व पूरा पता.....

रक्षण की राशि..... 90000

श्री मा-सुखाराम ठाकुर देवरा/विवाही/...

ठामा

आगत विक्रय का पूरा नाम- राजेश कुमार गुला

पंजीकरण नम्बर-111/14/100/22

संस्थान की अवधि

आगत कर्य करने का नाम व पूरा पता

पंजीकरण नम्बर-...


[Handwritten signature]



[Faint handwritten text]

भारतीय नैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 683393

5

4. यह कि द्वितीय पक्ष रो वाराणसी विकास प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराकर इसके अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा और इसमें आने वाले समस्त खर्च धनराशि के जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, जिससे प्रथम पक्ष का वास्ता सरोकार न होगा। यदि निर्माण के दौरान कोई हादसा हो जाता है तो उसका सम्पूर्ण दायित्व द्वितीय पक्ष का ही होगा और प्रथम पक्ष का कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष स्वीकृत योजना के अनुरूप समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुसार नियमों के अधीन व मानक के अनुसार निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर पूरा करावेगा तथा सभी सेनेटरी व अन्य आनुषंगिक फिटिंग्स भी मानक के अनुरूप ही लगवायेगा। यदि द्वितीय पक्ष ऐसा नहीं करता है तो प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का दायित्व नहीं होगा।
6. यह कि आरांजी मजकूर प्रस्तावित मानचित्र के अनुरूप निर्मित होना निश्चित हुआ है एवं कार पार्किंग तथा अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति भूतल पर निर्माण कर किया जावेगा, जिसमें पक्षगण 40:60 प्रतिशत उपरोक्तनुसार ही अपना-अपना अंश प्राप्त करने के हकदार होंगे। प्रस्तावित कार पार्किंग पक्षगण उनके उत्तराधिकारीगण स्थानापन्न प्रतिनिधि

Raghvendra Tripathi



Raghvendra Tripathi



Raghvendra Tripathi



Raghvendra Tripathi



Raghvendra Tripathi



For Shree Maa Constructions

Partner

6662

रहाय दिवस की तिथि..... 22-6-73

कार्य करने का प्रयोजन.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

श्री मां कनकलता देवी देवी

राजका

[Signature]




भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES.

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 392412

6

अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति संयुक्त रूप से अपने-अपने अंशों के अनुरूप करेंगे। निर्माण पूर्ण होने के पश्चात यह दायित्व द्वितीयपक्ष का भी होगा।

7. यह कि पक्षगण निर्मित भवन में अपने-अपने अंशों का उपयोग, उपभोग चाहे तो स्वयं करें अथवा अपने-अपने नामिनी को अपने अंश पर काबिज कराने अथवा अपने-अपने अंश का विक्रय अपनी स्वेच्छा अनुसार इच्छुक अशखाश को करके कब्जा दखल प्रदान कर दें। इसमें किसी पक्ष को किसी प्रकार कोई एतराज न होगा। प्रत्येक पक्ष को अपने-अपने अंश के निर्मित भाग व आनुपातिक भू-भाग का अन्तरण करने व अन्तरण विलेख तहरीर कर पंजीकृत कराने का अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष प्रथमपक्ष का 40 प्रतिशत हिस्सा देने के उपरान्त अपने 60 प्रतिशत के बाबत अपने अन्तरिति के हक में विक्रय विलय निष्पादित करने के लिए अपने हस्ताक्षर से सक्षम व स्वतंत्र होगा। विक्रय अभिलेख पर प्रथम पक्ष का भी हस्ताक्षर होगा।
8. यह कि प्रथम पक्ष जरिये विलेख हाजा द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तों के तहत निर्माण कार्य प्रस्तावित हो सकें, इसलिए अधिकार पत्र द्वारा प्राधिकृत करते कि वह प्रथम पक्ष की जगह इस अनुबन्ध पत्र के

Raghuram Tripathi

Shree Maa Construction

Laxmi H. Tripathi

Kush Tripathi



Shree Maa

Shree Maa



For Shree Maa Construction


Partn

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL

12 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 392411

7

अनुरूप कार्य करने के लिए जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो वहाँ-वहाँ बहसियत प्रथम पक्ष अपना स्वयं हस्ताक्षर करें व उसी के अनुसार आवश्यक अनुमति आदि हासिल करें।

- 9. यह कि योजना के अनुरूप निर्मित भवन के पैसेज, गैलेरी, सीढ़ी या लिफ्ट तथा भवन में आने-जाने का रास्ता और आराजी मजकूर का व अंश जिसका कोई निर्माण नहीं रहेगा बल्कि बशकल खुला रहेगा। ये सभी कामन रहेंगे। जिस पर किसी पक्ष को किसी भी प्रकार का निर्माण करने अथवा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है।
- 10. यह कि इकरारनामा तहरीर होने की तिथि से तीन माह के भीतर विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र को स्वीकृत कराने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। इकरारनामा निष्पादित होने की तिथि के तीन माह बाद से 5 वर्ष की अवधि में द्वितीय पक्ष को निर्माण कार्य पूर्ण करा लेना अनिवार्य होगा। किसी दैवीय आपदा या परिस्थिति विशेष के होने के कारण द्वितीय पक्ष को निर्माण हेतु 5 वर्ष के अलावा एक वर्ष का अतिरिक्त समय निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु दिया जायेगा। समय के अन्दर निर्माण न होने पर एक लाख रुपया प्रतिमाह रकम खेसारा द्वितीय पक्ष भू-स्वामी प्रथम पक्ष को

Requesto Tripathi Dewarika Tripathi

Laxo Kulkarni mpa tcd

Kushi Tripathi



Mungra S.V.

Yadav

For Shree Maa Constructions



Partner

१०५५

क्रमांक

स्टाम्प विक्रय की तिथि १२/१२/१३

स्टाम्प क्रमांक ११११

स्टाम्प श्रेणी का नाम ११११

स्टाम्प की अवधि ११११

स्टाम्प की कीमत ११११

स्टाम्प की शर्तें ११११

अधिकृत विक्रेता का नाम ११११

स्थान व पुराण ११११

श्री

अधिल मित्रिका

११-१२-१३

११-१२-१३

- दिवानी न्यायालय

वाराणसी

११११

११११




भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

12 JUL 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 392410

8

- अदा करना होगा। अगर इसमें कासिर रहे तो दो प्रतिशत प्रतिमाह सूद की दर से मम खर्चा व खेसारा प्रथम पक्ष वसूलने का अधिकारी होगा।
11. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आकस्मिक घटना या परिस्थिति वश पक्षगण अथवा कोई पक्ष शारीरिक/विधिक रूप से असमर्थ हो जावें, तो उस दशा में उसके उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न प्रतिनिधियों को वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे, जो इस विलेख के अधीन पक्षगण अथवा सम्बन्धित पक्ष को प्राप्त है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे सम्बन्धित पक्ष का उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न प्रतिनिधि इस विलेख की शर्तों से प्राबन्ध होगा एवं उसका अनुपालन नियमानुसार करा लेने का अधिकारी होगा, परन्तु पक्षगण अपना-अपना प्रतिनिधि स्वतः नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
 12. यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक तल पर प्रथम पक्ष के अंश में आने वाले 40 प्रतिशत निर्मित अंश को पूर्ण रूप से फिनिश करके अर्थात् उसमें रंग, चूना, वायरिंग, फर्शमय, कामर्शियल मार्बल, सीवर लाईन, खिड़की, दरवाजा आदि फर्निश कर प्रथम पक्ष को अध्यासित करावेगा।
 13. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के पूर्णता हेतु स्वयं मजदूर, इंजीनियर, ठीकेदार, सहभागीदार आदि नियुक्त करने का अधिकारी होगा जिसमें प्रथम

Raghunada Tripathi



Dewan Lal Tripathi



Laxmi Kishor
Tripathi



Kunshi Tripathi



Pranay S.



Yash



For Shree Maa Constructions



Partner


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

2 JUL 2013

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00392409

9

पक्ष किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु ऐसे व्यक्तियों के किसी कार्य या कार्य लोप की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की न होगी। भवन निर्माण में त्रुटियों के लिए द्वितीय पक्ष क्षतिपूर्ति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।


14. यह कि विलेख हाजा पक्षगण के बीच सामान्य अनुबन्ध बशकल डेवलपर्स विलेख के रूप में तहरीर हो रहा है जिसके अनुसार द्वितीय पक्ष निर्मित होने वाले भवन में अपने हिस्से के 60 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल व खुले भूमि में पूर्ण हक बाबत करने मुन्तकिल प्राप्त कर रहा है एवं उसी रूप में प्रथम पक्ष मुताबिक नक्शा 40 प्रतिशत निर्मित व खुले भूमि का हक प्राप्त करेंगे। खुले भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न होगा एवं उसके प्राप्त होने वाली आय का बंटवारा भी उभय पक्ष के मध्य उनके अंशानुसार यानि 40 : 60 के अनुपात में होगा।

15. यह कि पक्षगण अपने-अपने अंश के निर्मित भाग का बिजली, पानी, भवन कर आदि निर्माण की पूर्णता की पश्चात अनुपातिक रूप से स्वयं वहन करेंगे। विक्रय के पश्चात क्रेताओं का यह दायित्व होगा। पक्षकारों का नहीं।

Rajkumar Tripathi



Munyn Lal




Manoj Kumar




Kishor



Laxmi Mishra



For Shree Maa Construction



Kishor Tripathi



Partner

9056

क्रमांक.....

राज्य विद्युत की तिथि..... 22/7/13

राज्य क्रय कर के प्रमाण.....

राज्य सेवा का नाम व क्रमांक.....

राज्य सेवा का क्रमांक/.....

राज्य सेवा का दिनांक.....

राज्य सेवा का प्रकार.....

संश्लेषित विवरण करने के लिये पुरा पत्र.....

20 अक्षर लिखनी
01-03-2013
विधान - राजस्थान
वाराणसी

नामा

श्री श्री अ.स.प.सी. सेवार्थ देवता सेवा/61



भारतीय गैर न्यायिक

भारतीय न्यायिक
पत्रिका

07 2013

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

90 792408

10

16. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण के पश्चात जब तक प्रस्तावित भवन के अध्याप्तियों की हाउसिंग सोसाइटी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक उक्त भवन के बाहरी व कामन पैसेज एवं अन्य कामन अंश की देख-रेख, सफाई व्यवस्था, सामान्य मरम्मत, चूना कली एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी मात्र द्वितीय पक्ष की होगी। इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को कोई देय दायित्व नहीं होगा।
17. यह कि जरिये विलेख हाजा प्रस्तावित भवन के 60 प्रतिशत अंशमय आनुपातिक भूमि को विक्रय करने विक्रय हेतु अनुबन्ध करने किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग, उपभोग करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को एवं 40 प्रतिशत अंश को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुबन्ध करने किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। विक्रय अभिलेख पर प्रथम पक्ष का भी हस्ताक्षर होगा।
18. यह कि निर्माण कार्य के दौरान यदि द्वितीय पक्ष के कार्य से शुब्ध होकर किसी शख्स अथवा संस्था द्वितीय पक्ष की स्वयं की किसी करार के अधीन कोई व्यवधान उत्पन्न किया जावे तो उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की

Raghuwari Tripathi



Manoj Tripathi



Laxmi K. V. N.




Kush Tripathi



Hemant Patel



For Shree Maa



For Shree Maa Constructions



Partner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 392407

11

- होगी। प्रथम पक्ष की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं माना जावेगा।
19. यह कि किसी पक्ष को अपने अंश के अतिरिक्त किसी दूसरे पक्ष के हिस्से से भवन मजकूर को कोई अंश विक्रय करने, बन्धक रखने अथवा विक्रय हेतु अनुबन्ध करने का अधिकार न होगा। पक्षगण का हित अधिकार एवं स्वत्व अपने-अपने अंश तक ही सिमित रहेगा, परन्तु अपने-अपने अंशों का निर्धारण उभय पक्ष की आपसी सहमति से ही होगा।
20. यह कि द्वितीय पक्ष योजनानुसार भवन निर्माण में लगने वाली सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था स्वयं या स्वयं के दायित्व पर किसी भी वित्तिय अथवा वित्त पोषक संस्था द्वारा करावेगा और आवश्यकता पडने पर प्रस्तावित इमारत के निर्माण हेतु अपने 60 प्रतिशत अंश को ही बन्धक रख सकेगा। प्रथम पक्ष को 40 प्रतिशत अंश को किसी भी दशा में ऋण के एवज में बन्धक नहीं रखेगा। किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य मजकूर के बाबत लिये गये किसी ऋण अथवा धनराशि को अदा करने की कोई जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की न होगी न है, उसका कोई प्रभाव प्रथम पक्ष के एक हिस्सा यानि 40 प्रतिशत इनारत मजकूर पर न होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष एवं

Raghunath Tripathi

Lawyer
Tripathi

Kush Tripathi



Murari Lal

Yashpal




For Shree Maa Constructions

Partner

भारतीय रिपब्लिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12

94AB 405582

उसके अंश स्वयं मजकूर पर होगा। द्वितीय पक्ष संशासन अपने बल बूते पर करेगा। किसी प्रकार का कोई ऋण भार प्रथम पक्ष की भूमि पर नहीं होगी।

21. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबन्धित भू-खण्ड पर काम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, जिसका नामकरण पक्षगण आपसी सहमति से करेंगे।
22. यह कि प्रथम पक्ष डेवलपर्स विलेख के हस्ताक्षरित हो जाने के बाद अनुबन्धित भूमि को न तो दीगर शख्स को विक्रय करेगा, न ही बन्धक रखेगा और न ही पट्टा करेगा, न ही डेवलपर्स एग्रीमेन्ट करेगा।
23. यह कि वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र का सम्पूर्ण कार्य द्वितीयपक्ष पूर्ण करायेगा और उसमें से 40 प्रतिशत प्रथमपक्ष को देगा। अगर स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा निर्माण कार्य होता है तो उस अवस्था में सम्पूर्ण निर्माण का 40 प्रतिशत पाने का मुश्तहक प्रथमपक्ष होगा।
24. यह कि विलेख में अन्तर्निहित सम्पत्ति खुला भूखण्ड है जिस पर कोई प्रकार का कोई तामीरात नहीं है और प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बशकल खुली अवस्था में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। सम्पत्ति के कुल रकबा की सरकारी मालियत 6800/-

Roghanda Tripathi

Roghaan Lal Tripathi

Lawa Kulkarni
Tripathi

Kush Tripathi



Munim R.

Kush Tripathi

For Shree Max Constructions



Partner

०२

१००२९
२२/११/१३

ऑफिस ऑफ़ कर्मचारी कल्याण

राजेश कुमार
१०/११/१३

~~ऑफिस ऑफ़ कर्मचारी कल्याण~~



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

88A8 536132

13

प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिंग 3,61,96,000/- रुपया व बाउण्ड्री वाल हेतु 2,50,000/- रुपया योग मुबलिंग 3,64,46,000/- रुपया होता है, अतः स्टाम्प नियमानुसार 25,51,330/- रुपया अदा किया जा रहा है, जिसमें 25,34,000/- रुपये जरिये ई-स्टाम्पिंग व मुबलिंग 17330/- जरिये स्टाम्प अदा किया गया है।

इस वास्ते यह डेवलपर्स विलेख हन पक्षकारगणों ने पढ़कर व पढ़वाकर, सुन व समझकर इसके प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख या कि प्रमाण रहें व समय पर काम आवें।

विवरण जायदाद जिसके बाबत मसौदा डेवलपर्स विलेख तहरीर हो रहा है:-
आराजी नम्बर 529ख रकबा 5322.90 वर्गमीटर स्थित मौजा भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर जिला वाराणसी के संलग्न नक्शा नजरी में मय पैमाइश के लाल तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमायें निम्न है -

- | | |
|--------|---------------------|
| पूरब | - मकान लालता वगैरह |
| पश्चिम | - आराजी नम्बर 529क |
| उत्तर | - सड़क 40 फीट |
| दक्षिण | - आवादी मौजा भिटारी |


Raghunath Tripathi



Lawa Kulkarni
Tripathi



Kish Tripathi



Munim Lal



Yash



For Shree Maa Constructions



Partner

7170
22-7-13 Si

Jai Han Cant 10/10
Keesha 10/10
- 10/10

MD. SHOAIB KHAN
S. V. COLL. VARANASI
L. N. 49/29/817R






सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh
e-Stamp

Certificate No. : IN-UP00101995475670L
 Certificate Issued Date : 20-Jul-2013 12:47 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI/ UP-VNS
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0100102175809110L
 Purchased by : SHREE MAA CONSTRUCTIONS
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : SETTLEMENT PLOT NO 529KHA SITUATED AT MAUZA BHITARI PARGANA DEHAT AMANAT TEHSIL AND DISTRICT VARANASI
 Consideration Price (Rs.) : 3,61,95,720
 (Three Crore Sixty One Lakh Ninety Five Thousand Seven Hundred And Twenty only)
 First Party : RAGHVENDRA DWARIKA LAVKUSH KUSH DURGA PD AND YASH
 Second Party : SHREE MAA CONSTRUCTIONS THROUGH DEVESH TRIPATHI
 Stamp Duty Paid By : SHREE MAA CONSTRUCTIONS THROUGH DEVESH TRIPATHI
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 25,34,000
 (Twenty Five Lakh Thirty Four Thousand only)



Please write or type below this line

-15-

Raghvendra Tripathi
 Devash Tripathi
 Lav Kush Tripathi
 Kush Tripathi
 Kush Tripathi
 Kush Tripathi

000522212

Statutory Alerts

- The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at "www.shcilstamp.com". Any discrepancy in the details on this certificate and as available on the website renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Signature

पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार
 पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार
 पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार
 पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार

पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार/पट्टेदार



भारतीय वीर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14

88AB 536133

गवाह (1) Vineet Pandey
S/o Jitendra Narayan Pandey
Vill. Po. Mehandiganj, Rajatalab
Varanasi

गवाह (2) श्री अशोक कुमार त्रिपाठी
S/o श्री अशोक कुमार त्रिपाठी
श्री जयदेव त्रिपाठी भिष्मारीपुर वाराणसी

मसविदाकर्ता- विवेक शंकर तिवारी
विवेक शंकर तिवारी, एडवोकेट
सिविल कोर्ट, वाराणसी

टाइपकर्ता-
रजनीश कम्प्यूटर्स
कलेक्टरी, वाराणसी

Raghuwanda Tripathi D. K. Mishra Tripathi



Laxmi K. Mishra

Kush Tripathi



Shri. S. S. Mishra

Yash Tripathi



For Shree Maa Constructions

Partner

2169
22-5-13 R.O

Dr. Karam Chandra Singh
Deen Dayal Upadhyay
KCCGRAP

MD. SHOAB KHAN
S.V. COLL. VARANASI
L.N. 19/29/R/1/78



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 420339

15.

नोट :- नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है ।

Raghunada Tripathi Divan Ka Mirda Mur



Lotwa Kulkarni




For Shree Maa Construction:

Kush Tripathi




Shyam Lal



Yash Tripathi



[Signature]



Partne

3439

क्रमांक.....

स्थाप्य विभाग को दिनांक..... 20/12/13

स्थाप्य क्रम का नाम..... श्री श्री कृष्णम

स्थाप्य का नाम..... लक्ष्मी कलेज हवल

स्थाप्य को प्रेषित दिनांक..... 20/12/13

स्थाप्य विभाग का नाम..... डॉ. वती सुन्दर

स्थाप्य का पता..... 77

स्थाप्य की शुरुआत..... 2012 से 2017

अधिकृत अधिकारी का नाम..... डॉ. 21/02/13 डॉ. श्री

का स्थान व पुरा पता..... सुभाष सुभाष बालबली






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 420340

16.

मसविदाकर्ता :- विवेक शंकर तिवारी
(शुद्धीकर्ता)

Raghuraj Tripathi Dhawalica Tripathi Lawa Kish h. m. a. t. u.




For Shree Maa Constructi

Kush Tripathi

Manoj Pr.

Yash Tripathi

Parti



3440

2070

श्री श्री बराम वसु डी शिवाजी

गणेश



श्री श्री बराम वसु डी शिवाजी



3440

2070

श्री श्री बराम वसु डी शिवाजी

गणेश



[Handwritten signature]

श्री श्री बराम वसु डी शिवाजी



- | | | | |
|----|--|---|----------|
| 1. | रास्ते की स्थिति | - | सड़क |
| 2. | निर्माण की स्थिति- | - | कुछ नहीं |
| 3. | निर्माण की प्रकृति (व्यवसायिक / आवासीय) | - | आवासीय |
| 4. | दिशा सूचक | - | उत्तर |
| 5. | वृक्षों/कुओं/बाउण्ड्री वाल/गेट आदि की स्थिति - | | |

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



राघवेंद्र नारायण त्रिपाठी, द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, लवकुश त्रिपाठी, कुश त्रिपाठी पुत्रगण धर्मराज त्रिपाठी व दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी व यश त्रिपाठी पुत्रगण स्व० सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी निवासीगण ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

..... प्रथमपक्ष।

एवं

श्री मॉ कन्स्ट्रक्शंस वजसिये पार्टनर, देवेश त्रिपाठी पुत्र डा० शुक्रदेव त्रिपाठी निवासी बी-30/252, नगवां, लंका, वाराणसी

..... द्वितीयपक्ष।

प्रतिफल/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर- 3,64,46,000/-

सम्पत्ति का विवरण- आराजी नम्बर 529ख रकबा 5322.90 वर्गमीटर स्थित मौजा भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर जिला वाराणसी

पूरब	-	मकान लालता वगैरह
पश्चिम	-	आराजी नम्बर 529क
उत्तर	-	सड़क 40 फीट
दक्षिण	-	आबादी मौजा भिटारी

स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले अन्य तथ्य - कुछ नहीं

दिनांक-22.07.2013

स्थान- वाराणसी

Raghuwanshu Tripathi
 Dwarka Prasad
 Lavakush Tripathi
 Kush Tripathi
 For Shree Maa Construction
 Partner



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8848 536134

नक्शा नजरी

आराजी नम्बर 529क रकबा 5469.70 वर्गमीटर स्थित मौजा भितारी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर जिला वाराणसी

सड़क

आराजी नम्बर 529क

आराजी नम्बर 529क

मकान लालता वगैरह



आबादी मौजा भितारी

Rashwantrao Tripathi



Prakash Ch.



Shankar Narayan, Lakshmi K.



Kush Tripathi



For Shree Maa Construction


Partner

कम्प्यूटर, शॉप नं 5, सी.बी.ए.ए.बिल्डिंग, कलेक्टर, कोर्ट, वाराणसी

7160
22-7-13 EID

For Hancam' 11/12
revesher to p...
Nagrat

~~MD. SHAMIS KHAN
S.V. COLL. VARANASI
L.H. 18/20/1951~~



10
11


1321/15

Chief Treasury Officer

VARANASI

18 FEB 2015

मुख्य वित्त अधिकारी
वाराणसी



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

ESH

1387



पूरक आवेलेख

राघवेन्द्र नारायण त्रिपाठी, द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, लवकुश त्रिपाठी, कुश त्रिपाठी पुत्रगण धर्मराज त्रिपाठी व दुर्गा, प्रसाद त्रिपाठी व यश त्रिपाठी पुत्रगण स्वर्गीय सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी, निवासीगण ग्राम भिठरी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी।
.....प्रथमपक्ष/ भूस्वामीगण

व

श्री माँ कन्स्ट्रक्शंस बजरिए पार्टनर देवेश त्रिपाठी पुत्र डॉ० शुक्रदेव त्रिपाठी निवासी मकान नम्बर बी. 30/252, नगवाँ लंका, शहर वाराणसी।

Raghuwade Tripathi

Dwarika Tripathi

.....द्वितीयपक्ष/ डेवलपर्स



[Signature]

Kush Tripathi

[Signature]

[Signature]



95229

क्रय की तिथि... 29-2-97
क्रय करने का प्रयोजन... 315
प्लान के नाम व पूरा पता...
प्लान की धनराशि... 9000
प्लान विक्रेता का पुराना नाम- राजीव कुमार गुप्त
प्लान नम्बर- 111/147/106/22
प्लान की अवधि- 01.04.2012 से 31.3.2017 तक
क्रय करने का स्थान व पूरा पता-

जी में अर्द्धकृत होना चाहिए परन्तु देवता ही का
नाम ही

रामपीया देव
राधेविन्दुनारायण 23/12/15
मिश्रा
दो आठ

वित्तिका


100/- 1000 - 10 + 10 = 120 / -

राधेविन्दुनारायण (मिश्रा) द्व. अमराज मिश्रा
दो आठ
23/12/15

14
वाराणसी

Raghendra Mishra





(2)

विदित हो कि आराजी नम्बरी 529ख रकबा 5322.90 वर्गमीटर (पाँच हजार तीन सौ बाइस दशमलव नब्बे वर्गमीटर) स्थित मौजा भिटारी, परगना देहात, तहसील व जिला वाराणसी के प्रथम पक्ष तनहा स्वामी व काबिज दखील चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि को विकसित करने के उद्देश्य से उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ग्रुप हाउसिंग के तहत निर्माण करने के उद्देश्य से एक डेवलपर एग्रीमेन्ट दिनांक 22.07.2013 को बहक द्वितीय पक्ष तहरीर व तकमील किया, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2013 को पुस्तक संख्या 1, खण्ड 5809 के पृष्ठ 353/390 पर दस्तावेज संख्या 6073 पर हुई। द्वितीय पक्ष उक्त डेवलपर एग्रीमेन्ट के तहत कार्य शुरू करना चाहता है, उसमें प्रथम पक्ष का चालीस प्रतिशत शेयर है तथा द्वितीय पक्ष का साठ प्रतिशत शेयर है जो द्वितीय पक्ष के द्वारा बनाकर प्रथम पक्ष को देना है यह विवरण म मूल इकरारनामा में देना छूट गया है। अतः उभयपक्ष स्वस्थ व प्रसन्न चित्त से बिना किसी दबाव के स्वेच्छ्या से यह मजीद इकरारनामा लिखकर अपने-अपने को निम्नलिखित नियतों से आबद्ध करते हैं:-

Raghendra Tripathi


Dinesh Tripathi


Laxmi Tripathi

Kush Tripathi

Manoj Tripathi

Shilpa Tripathi





(3)

500 118162

1. यह कि द्वितीय पक्ष अपने खर्चों से प्रथम पक्ष की आराजी पर बनने वाले टॉवर ब्लॉक "ए" में जो प्रथम पक्ष को मिलेगा उसे द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम व द्वादश तल, (कुल 64502.5 वर्गफीट) को पूर्ण रूप से निर्मित कराकर बमुताबिक डेवलपर एग्रीमेन्ट 40 प्रतिशत अंश सुपूर्द कर देगा। इसके अतिरिक्त प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से कुछ भी प्राप्त करने का अधिकारी न होगा।
2. यह कि प्रथम पक्ष के 40 प्रतिशत अंश जो ऊपर प्रथम कायम में लिखा है कम्पाउंडिंग का क्षेत्रफल भी जुड़ा हुआ माना जायेगा जो कि वी.डी.ए. द्वारा मकान निर्माण पूरा करने के पश्चात् पास किया जाता है। अगर कम्पाउंडिंग में वी.डी.ए. द्वारा क्षेत्रफल कम या ज्यादा किया जाता है तो प्रथम पक्ष का उसी अनुपात में अपने शेयर में कम या ज्यादा जो भी मानना पड़ेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अपने साठ प्रतिशत अंश के बाबत अपने अन्तरिति के हक में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए सक्षम व स्वतन्त्र

Raghuendra Tripathi

Dhanendra Tripathi

Laxmi Kishor Tripathi

Kishor Tripathi

Raghuendra Tripathi

Laxmi Kishor Tripathi



25962

15

श्री श्री कल्याणेश्वर नारायण मठ, दिल्ली विभागीय
लोक सेवा

६

नारायण प्रसाद जायसवाल
सहायक निदेशक
दिल्ली विभागीय लोक सेवा
नारायण मठ, दिल्ली

23.2.15

Raghunath Tripathi Dhanika Tripathi Lowakush Tripathi



Kush Tripathi

Almug Bel.

Yad
Tripathi



शिवकेशव शिवारी
(अडवाकेल)


Yad

लोक सेवा

नारायण मठ, दिल्ली
दिल्ली विभागीय लोक सेवा

नारायण मठ, दिल्ली
दिल्ली विभागीय लोक सेवा





(4)

होगा। विक्रय विलेख पर प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता न होगी। इसी प्रकार प्रथम पक्ष अपने 40 प्रतिशत अंश के विक्रय-विलेख को निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र होगा। द्वितीय पक्ष की हस्ताक्षर की आवश्यकता न होगी।

4. यह कि डेवलपर एग्रीमेन्ट के अनुसार ग्रुप हाउसिंग स्कीम में द्वितीय पक्ष ने नक्शा सम्बन्धित विभाग के पास करा लिया है, तामीरात में कोई अड़चन नहीं है।
5. यह कि मूल इकरारनामा में आराजी नम्बर, नक्शा में 529ख लिखा है, सही है लेकिन उसके उपर विवरण में आराजी नम्बर 529क लिखा है उसे दुरुस्त करके 529ख दर्ज किया जाये तथा पढ़ा जाये। क्योंकि खतौनी व सरकारी अभिलेख में 529ख ही सही रूप में दर्ज है।
6. यह कि इस परिवर्तन से किसी तीसरे पक्षकार का हित प्रभावित नहीं हो रहा है, न तो किसी वाद में लाभ लेने के लिये यह परिवर्तन किया जा रहा है, यह स्वाभाविक परिवर्तन है।

Raghunath Tripathi

Dr. Jyoti K. Tripathi

Laxmi K. Tripathi

Kush Tripathi

Shri. S. S.

Yash Tripathi


Laxmi


2596/

10) श्री डॉ. अश्वमेध शर्मा कलकत्ता विश्वविद्यालय
लखनऊ, भारत

₹
23.2.15

नारायण प्रसाद जायसवाल
बटवारा बिक्रता
पिकाही नगरपालिका, वाराणसी
क्या. नं. 33/208





(5)

- 7- यह कि कुल मजमून वसीका हाजा को पढ़कर व पढ़वा कर सुन व समझ लिया है। जिसकी हर आइना पाबन्दी उभयपक्ष पर लाजिम है इसलिए यह चन्द कलमा बतरीक मजीद इकरारनामा के लिख दिया कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक - 23.02.2015

गवाहान-

1. नाम - SAILAS VERMA

पिता का नाम - LATE SHRI K.M. VERMA

पूरा पता - 15A PRAYAG APPTS. VASUNDHARA ENCLAVE NEW DELHI-96


Raghuwanda Tripathi Dinesh Kumar Tripathi Lajwa KVS B. Jindal

Kush Tripathi

Himanshu Singh

Yash Tripathi

Lajwa KVS B. Jindal



25760

10) श्री गौरी कान्हाशंकर कर्मणिसिंघाजी (देवीशक्ति) लिमिटेड वाराणसी

23.2.15

नारायण प्रसाद जायसवाल
स्टाफ विकासा
श्रीवानी न्यायलय, वाराणसी
फोन नं-135/100/133/208





(6)


2. नाम - बालकृष्णदास
 पिता का नाम - एच. राम. इ. (ए) उर
 पूरा पता - श्रीम. चंकरा - मऊ रोड ३८०
मौफपुर

मसविदाकर्ता-

विवेक शंकर त्रिवारी
 विवेक शंकर त्रिवारी, (एडवोकेट)
 सिविल कोर्ट वाराणसी।


टाइपकर्ता-

उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी
 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी
 सिविल कोर्ट वाराणसी।

Raghunath Tripathi



Dusmanta Tripathi

Laxmi Kishor Tripathi


Kushi Tripathi


Hemant Lal


Ved Prakash


Shri


25959

10/

श्री श्री अन्वेषण विभाग गार्डर डेपेंडेंस विभाग
लोक सेवा विभाग



23.2.15

नारायण प्रसाद जायसवाल
रक्षा विभाग
बीवानी न्यायालय, वाराणसी
कॉन्टै-125/100/133/208

[Faint, illegible text]



3370/18

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

46AD 935880



Rajwade Tripathi

12417 *Darwika Tripathi Law* *Prakash*

तितिम्मा

(1) राघवेन्द्र नारायण त्रिपाठी, आधार संख्या-347972657071, मोबाइल नम्बर- 9415228894 पुत्र स्व० धर्मराज त्रिपाठी, (2) द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, आधार संख्या- 253656921698, मोबाइल नम्बर- 7839245830 पुत्र स्व० धर्मराज त्रिपाठी, (3) लवकुश त्रिपाठी, आधार संख्या- 344182288180, मोबाइल नम्बर- 9839907160 पुत्र स्व० धर्मराज त्रिपाठी, (4) कुश त्रिपाठी, आधार संख्या- 535928933298, मोबाइल नम्बर- 9415980556 पुत्र स्व० धर्मराज त्रिपाठी एवं (5) दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व० सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी (पौत्र स्व० धर्मराज त्रिपाठी), आधार नम्बर- 583862348818, मोबाइल नम्बर- 8187977779 (6) यश त्रिपाठी, आधार संख्या- 634627032897, मोबाइल नम्बर- 9044257884 पुत्र स्व० सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी (पौत्र स्व० धर्मराज त्रिपाठी), सभी पेशा व्यापार व निवासीगण ग्राम भित्तारी, परगना देहात अमानत, तहसीवल व जिला वाराणसी।

Rajwade Tripathi *Darwika Tripathi Law* *Prakash* प्रथम पक्ष *Kush Tripathi*

Rajwade Tripathi
Prakash
Darwika Tripathi
Prakash
For Shroemac Authority
Prakash

L. S. S. S.

112

महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन


महाराष्ट्र शासन

महाराष्ट्र शासन

153
५५५



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

46AD 935879



व

श्रीमाँ इन्फ्रारियेल्टी प्रा०लि० निगमन प्रमाणपत्र संख्या U70100UP2013PPC060897
 पंजीकृत कार्यालय 5/301 सहारा ग्रेस जानकीपुरम् लखनऊ-226022 जरिये
 मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेश त्रिपाठी पुत्र डॉ० शुक्देव त्रिपाठी निवासी म.नं.
 बी-30/252, नगवाँ, लंका, वाराणसी, पेशा- व्यापार, आधार नम्बर-
 752714594530, मोबाइल नम्बर- 9919224444 (जो पूर्व में साझेदारी फर्म
 श्रीमाँ कंस्ट्रक्शन जरिये साझेदार देवेश त्रिपाठी उपरोक्त व्यापार/ संविदा करती थी)

Devesh Tripathi Devesh Tripathi

Lawa Kush Tripathi

.....द्वितीय पक्ष
Kush Tripathi



~~10/10~~ 25000

8/1/1982

श्री श्री इन्फा रिजर्व/पुस्तिका

अब 200 को नैतिक इका-मार्ग

श्री देवेश सिन्हा

नया प्रवेश

शिवनाथ यादव

स्टाम्प विक्रेता

एन.ए. 100/53/11

दीवानी कानूनी



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

46AD 935878

चूँकि प्रथम पक्ष के एक डेवलपर्स विलेख दिनांक 22.07.2013 साथ श्रीमाँ कंस्ट्रक्शन्स बजरिये पार्टनर श्री देवेश त्रिपाठी पुत्र डॉ० शुक्देव त्रिपाठी निवासी म.नं. बी-30/252, नगवाँ, लंका, वाराणसी बाबत विकास कार्य/ निर्माण ऊपर आराजी संख्या 529 'ख' रकबा 5322.90 वर्गमीटर स्थित मौजा भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी तहरीर किया था जिसका पंजीकरण बही संख्या 1, जिल्द संख्या 5009, पृष्ठ संख्या 353/390, क्रम संख्या 6075 पर दिनांक 23.07.2013 को दफ्तर सब-रजिस्ट्रार द्वितीय, वाराणसी में हुआ था।

और चूँकि उक्त श्रीमाँ कंस्ट्रक्शन्स साझेदारी फर्म का निगमन प्राइवेट लिमिटेड अजनाम " श्रीमाँ इन्फ्रारियेल्टी प्रा०लि०" में हुआ जिसका निगमन प्रमाण पत्र संख्या U70100UP2013PPC060897 है, अतएव उक्त संविदा दिनांक 22.07.2013 में उक्त फर्म के स्थान पर प्रतिस्थापित हुई।

Raghvendra Tripathi Shreemaa Infarcally Pvt. Ltd. Lawa Kulkh Tripathi Kush Tripathi

For Shreemaa Infarcally Pvt. Ltd.
Managing Director

2009
 51/4/12
 श्री गुरुदेव नारायण त्रिपाठी/पुत्र
 जिला वाराणसी
 श्री केशव त्रिपाठी
 नगरपालिका
 शिवनाथ पाण्डे
 स्टाम्प विक्रेता
 फोन-100857113/32
 बीवानी कयारि-पुल

पूरक लेखपत्र

प्रतिकल- 0 स्टाम्प शुल्क- 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160


श्री राघवेंद्र नारायण त्रिपाठी, *Raghendra Tripathi*
 पुत्र श्री स्व० धर्मराज त्रिपाठी
 व्यवसाय : व्यापार
 निवासी : ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 04/06/2018 एवं 03:48:03 PM बजे
 निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


 अरविन्द कुमार सिंह (प्रभारी)
 उप निबंधक : सादर द्वितीय
 वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

46AD 935877

और चूँकि उक्त डेवलपर्स विलेख में कतिपय संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन करना है जिसके लिए यह संशोधन विलेख वास्ते करने संशोधन उपरोक्त डेवलपर्स विलेख दिनांक 22.07.2013 एतद्वारा पक्षगण अपने-अपने स्वस्थ मन व मस्तिष्क की दशा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित करते हैं:-


1. यह कि डेवलपर्स विलेख दिनांक 22.07.2013 के पृष्ठ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 और अन्य जगह जहाँ-जहाँ अंक "40" है उसकी जगह अंक "35" तथा अंक "60" के जगह अंक "65" लिखा जाता है, क्योंकि टाइपिंग की त्रुटि से गलत टाइप हो गया था।
2. यह कि डेवलपर्स विलेख दिनांक 22.07.2013 के पृष्ठ 7 पैरा 10 लाइन संख्या 3 एवं 6 में टाइपिंग की त्रुटि से अंक "9" के स्थान पर अंक "5" टाइप हो गया था। तदनुसार अंक "5" के स्थान पर "9" लिखा जाता है।

Raghunada Tripathi

Shyam Lal Tripathi

Lalita Devi Tripathi


Kush Tripathi



Shyam Lal Tripathi

Shyam Lal Tripathi

For Shree Baba Infrastructure Pvt. Ltd.



क ५००१

३१.३.१३

श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी

वर्तमान निवास स्थान

श्री देवेश त्रिपाठी

नागपुर जिला

शिवनाथ वादव

स्वायं विक्रता

सा.नं०-100/83/11.12.13

दीवानी कचहरी-२०००००

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री राघवेंद्र नारायण त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० धर्मराज त्रिपाठी

निवासी: ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 2

Raghavendra Tripathi



श्री दवारिका प्रसाद त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० धर्मराज त्रिपाठी

निवासी: ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 3

Dwarika Tripathi



श्री लक्ष्मण त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० धर्मराज त्रिपाठी

निवासी: ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 4

Laxman Tripathi



श्री कुश त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० धर्मराज त्रिपाठी

निवासी: ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार

प्रथम पक्ष: 5

Kush Tripathi



श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी

निवासी: ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी

प्रथम पक्ष: 6

Durga Prasad Tripathi



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)


46AD 935876

3. यह कि डेवलपर्स विलेख दिनांक 22.07.2013 के पृष्ठ 10 पैरा संख्या 16 के अन्त में निम्नलिखित इबारत बढ़ायी जाती है:-

सोसाइटी गठन से पूर्व "विद्युत सब-स्टेशन के उपकरण जनरेटर बैकअप के उपकरण, एस.टी.पी. निर्माण क्लब हाउस मेम्बरशिप शुल्क, जिम के उपकरण, वाह्य विकास शुल्क व अन्य उपकरण इत्यादि मद में द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित शुल्क प्रत्येक क्रेता द्वारा द्वितीय पक्ष को बिना किसी विलम्ब एवं एतराज अदा करने की जिम्मेदारी होगी जिससे प्रथम पक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा।" प्रथम पक्ष से कोई चार्ज वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

4. यह कि डेवलपर्स विलेख दिनांक 22.07.2013 के पृष्ठ 11 पैरा 19 के अन्त में निम्नलिखित इबारत बढ़ायी जाती है:-

Raghvendra Tripathi Dimple Chandra Lawrence Krish Tripathi




Harpreet

Yash

For Shreemsa Interacety Pvt.

2008



5003
 51312
 जी.मि. इन्फ्रा रिजल्ट
 फ्रॉन्ट जॉइंट गैनेरिंग
 हाउस रजिस्ट्रार कार्यालय
 वाराणसी

शिवनाथ यादव
 स्वाम्य विक्रेता
 शा.नं०-100/23413/33
 मी.वा.पी. कचहरी-वाराणसी

प्रथम पक्ष: 6

श्री यश त्रिपाठी, पुत्र श्री स्व० सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी
 निवासी: ग्राम भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील व
 जिला वाराणसी

Yash Tripathi
 व्यवसाय: व्यापार



द्वितीय पक्ष: 1

श्री श्री माँ इन्फ्रारियेल्टी प्रा०लि० के द्वारा देवेश त्रिपाठी, पुत्र श्री
 डा० शुकदेव त्रिपाठी

निवासी: बी० 30/252 नगावां लंका वाराणसी
 व्यवसाय: व्यापार

Devesh Tripathi



ने निष्पादन स्वीकार किया। लिनकी पहचान
 पहचानकर्ता : 1

श्री सर्वेश त्रिपाठी, पुत्र श्री जानशंकर त्रिपाठी
 निवासी: ग्राम भिटारी, पोस्ट लोहता वाराणसी



व्यवसाय: व्यापार
 पहचानकर्ता : 1

श्री विवेक पाण्डेय, पुत्र श्री जितेन्द्र नारायण पाण्डेय
 निवासी: ग्राम महेशीगंज राजालाब वाराणसी



व्यवसाय: व्यापार


रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरविन्द कुमार सिंह (प्रभारी)
 उप निबंधक : सदर द्वितीय
 वाराणसी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
 लिए गए हैं।
 टिप्पणी :



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)


46AD 935875

“प्रथम पक्ष के निवेदन पर द्वितीय पक्ष यदि प्रथम पक्ष के हिस्से वाले प्लॉटों की बिक्री हेतु क्रेता उपलब्ध कराता है तब द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष से विक्रय धनराशि का 9 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने का मुस्तहक होगा। इसी के साथ ही यदि प्रथम पक्ष के अंश के क्रेता अतिरिक्त पार्किंग सुविधा चाहते हैं तब समुचित धनराशि का भुगतान द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के क्रेता से प्राप्त करने का मुस्तहक होगा।”

5. यह कि द्वितीय पक्ष निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं करता है तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष RERA के नियमों के अनुसार हर्जाना अदा करने का अधिकारी होगा।

इस वास्ते चन्द कमला बतौर टिडिम्मा (संशोधन विलेख) पक्षगण ने विधिनुसार निष्पादित किया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

Raghvendra Tripathi *Shant Lal Tripathi* *Laxmi K. A. Tripathi* *Kush Tripathi*



Raghvendra Tripathi

Shant Lal Tripathi

For Shreemaa Infra Realty Pvt. Ltd.

Manoj Kumar



४

२००५

४।६।१२

~~अज्ञात दुकान स्थित~~

~~पुस्तक जाली में~~

~~दुकान की विवरण लिख~~

~~नाम लेना~~

शिवनाथ यादव

रहस्य विक्रेता


सं०-१००/८३/१३/५३

दीवानी कचहरी-वाराणसी



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

46AD 935874

इस संशोधन से किसी तीसरे पक्षकार के हितों का हनन नहीं हो रहा है न तो सम्पत्ति की स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में यह स्वाभाविक परिवर्तन हो रहा है।

विवरण सम्पत्ति

आराजी नम्बर 529ख रकबा 5322.90 वर्गमीटर स्थित मौजा भिटारी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसकी चतुर्दिक सीमा निम्न है:-


पूरब : मकान लालता वगैरह

पश्चिम : आराजी नम्बर 529क

उत्तर : सड़क 40 फीट

दक्षिण : आबादी मौजा भिटारी

Raghunath Tripathi *Dr. Anil Kumar Tripathi* *Laxmi Kishor Mohan* *Kishor Mohan*



Shri. Anil

Shri. Anil

For Shreemaa

Shreemaa



२ ५००५

४।६।९२

~~श्री श्री इन्द्रा विनेय पुस्तिका~~

जर्मन मैनेजिंग द्वारा

वी. वि. वि. वि.

नया नया

शिवनाथ सादव


रक्षा विवेका

100/83/11/7/3

नया नया



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

46AD 935873


तहरीर तारीख- 04.06.2018

गवाहान-

1. नाम - सर्वेश त्रिपाठी
पिता का नाम - श्री ज्ञानशंकर त्रिपाठी
पूरा पता - ग्राम भिवरी, पोस्ट लोहता, वाराणसी
आधार नम्बर - 979194247775
मो.नं. - 9415354370



Rajwade Tripathi Durand in Tripathi Lawa KVS b tripathi Kush Tripathi




क्र ५००३
४।६.१२

~~कीर्ति इन्डिया रिजर्व प्रा. लि.~~
~~जर्मन कॅम्पिब इन्डिया~~
~~उत्तर विभाग~~
~~लावा लेवा~~

शिवनाथ यादव
स्थायी विक्रेता
क्र. १००/४३/१३५३
मिथानी कचहरी परतलवा



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(9)

46AD 935872

गवाह हस्ताक्षर - *रविशंकर (रि. १/३)*

2. नाम - विवेक पाण्डेय

पिता का नाम - जितेन्द्र नारायण पाण्डेय

पूरा पता - ग्राम मेंहदीगंज, राजातालाब, वाराणसी

आधार नम्बर - 300122479329


मो.नं. - 9415776571

गवाह हस्ताक्षर -

Raghunath Tripathi *Dharmendra Tripathi* *Laxmi Kishor Tripathi* *Kishor Tripathi*





Raghunath Tripathi



Dharmendra Tripathi



For Shreemaa Infra Realty Pvt. Ltd.
[Signature]
Managing Director



[Signature]

25006

६/६/१२

~~श्रीमान् इन्द्रादिशेखरजी~~

~~जीवराम खेरिग हालत~~

~~जीविका विक्रय~~

माता जयश्याम

शिवनाथ यादव

स्टाम्प विक्रेता

खाना-100/83/113/53

दीवानी मजदुरी-वाराणसी



भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

46AD 935871

मसविदाकर्ता-

विवेक शंकर तिवारी

विवेक शंकर तिवारी, (एडवोकेट)

सिविल कोर्ट वाराणसी।

मो.नं.- 9415268863

टाइपकर्ता-

उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी

सिविल कोर्ट वाराणसी।

Raghuwanda Tripathi

Divyanshu Kumar Lawa Kishan Tripathi

Kishan Tripathi



Handwritten signature of Raghuwanda Tripathi

Handwritten signature of Divyanshu Kumar

For Shreemaa Infrastructure

Handwritten signature of Kishan Tripathi



6 2002

813/12

बीना इन्डा रिजल्ट

जिम्मे मेरीका इन्डा

जीवेश बिवाल

नगरपालिका

शिवनाथ यादव

स्टाम्प विक्रेता

संख्या-100/83/113/53

बीवानी कचहरो-वाराणसी

बही संख्या ! जिल्द संख्या 9591 के पृष्ठ 377 से 396 तक क्रमांक 3370 पर दिनांक 04/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



अरविन्द कुमार सिंह (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर द्वितीय

वाराणसी